



जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ।

शुद्धि पत्र

कार्यालय आदेश ज्ञापांक-2320/जि०ग्रा०, दिनांक-01.08.2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प ज्ञापांक-4729, दिनांक-04.06.2007, ज्ञापांक-6440, दिनांक-17.07.2012 एवं ज्ञापांक-(छ) 848, दिनांक-21.3.2017 के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी सिंहभूम के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अन्तर्गत सृजित पदों के लिए रिक्तियों के विरुद्ध संविदा पर नियुक्ति हेतु "विज्ञापन संख्या-01/म०, 2017-18" द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। उक्त विज्ञापन को आंशिक संशोधित निम्नानुसार किया जाता है :-

1. विज्ञापन में प्रकाशित क्रमांक 04 में अधिकतम आयु सीमा को निम्नवत् समझा जाए :-

(क)	अनारक्षित	:-	35 वर्ष
(ख)	पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	:-	37 वर्ष
(ग)	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	:-	38 वर्ष
(घ)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	:-	40 वर्ष
2. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.08.2017 के स्थान पर दिनांक-30.08.2017 को कार्यालय अवधि समाप्ति तक निश्चित किया गया है।

पूर्व विज्ञापन की अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

रु।-

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

ज्ञापांक 2382/जि०ग्रा०, दिनांक 08/08/2017

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को निदेश दिया जाता है कि उक्त शुद्धि पत्र को जिला के वेबसाईट www.chaibasa.nic.in पर शीघ्रताशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

8/8/17

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।